

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/एसीपी/जोन-अजमेर/ part gen 1450-18758 / 2024 / 196

दिनांक:- 24/4/24

--:आदेश:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं संशोधित आदेश एफ.11(7)एफडी/रूल्स/2008/पार्ट-1दिनांक 06.10.08 एवं एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 एवं आदेश क्रमांक एफ.15(88) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग कर्मियों जिन्होंने 09, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिका का नाम (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	वर्तमान में प्राप्त पे बन्ड/वेतन श्रृंखला/लेवल	देय पे ग्रेड/ देय वेतन श्रृंखला/ लेवल
01.	सुशीला शर्मा नर्सिंग अधिकारी	भीलवाडा	12.08.2005	12.08.2023 18 वर्षीय	L-11	L-12
02.	रमेश म.स्वा.कार्य.	नागौर	09.08.2005	09.08.2023 18 वर्षीय	L-10	L-11
03.	हेमलता जीनगर नर्सिंग अधिकारी	भीलवाडा	10.08.2005 म.स्वा.कार्य. के पद पर	10.08.2023 18 वर्षीय	L-11	L-12
04.	पिंकी नर्सिंग अधिकारी	भीलवाडा	10.08.2005 म.स्वा.कार्य. के पद पर	10.08.2023 18 वर्षीय	L-11	L-12
05.	कविता वर्मा म.स्वा.कार्य.	अजमेर	18.09.2000	18.09.2010 09 वर्षीय	Pay Band 5200-20200 GP-2400	Pay Band 5200-20200 GP-2800

नोट:- 1. उक्त कार्मिकाओं के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है, तो नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6629762

क्रमांक:—नर्सिंग / एसीपी / जोग-अजमेर / part gen 1450-18758 / 2024 / 196

दिनांक:— 24/4/24

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोग-अजमेर।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
3. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
4. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
5. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
6. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
7. सम्बन्धित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय, उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश / निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6629762

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :22-04-2024 01:03:52